

0809781

Schedule XXI-Form No. 87.
(H)

S.N.

**RECEIPT FOR FEES DEPOSITED FOR
SEARCH & COPY**

Serial number of application 43381

Date of application 21/9

Name of applicant Ashok Kumar
Singh

Fees Paid 240/-

Stamp Paper for

Date of deposit

3 Registering Officer

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 1526 22/9/12 आवेदन सं० 5493 22/9/12
 नाम Ashok Kumar Singh

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्दिष्ट संव्यवहारों और अवभारों का सविस्तर प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

प्रमाण-पत्र में इसके द्वारा प्रमाणित करता है कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही में और उससे सम्बद्ध अधिकारियों में 02/10/12 के रूप में दो दो AS per Index No. 1

उक्त संपत्ति की तलाशी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला
 चला है अतः हमारी कृपया अवभार से मुक्त है

क्र. सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouza: Mainpur Shikhar & S. Dargah & N. 2							
	S. Plot No 431 T. No 5234							
	Khaty No 35 Area 19.40/15 & Dhun							

1. दस्तावेज के प्रमाणित विवरण दर्ज करें।

2. संबंध-पत्र की दिशा प्रमाण को कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। चयनों की उनके को में उल्लेख करें।

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

4. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संबंधवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संबंधवहार और अवधार का मत नहीं चलता है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): 31/08/91

(पदनाम): 1/0/0

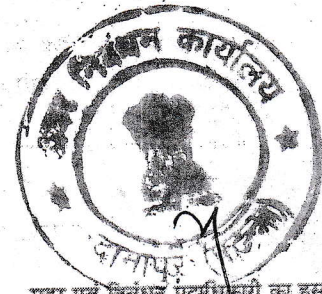
तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय: 21/7/81

तारीख: 22/9/12



मुहर पूर्व निबंधन मंडलधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संबंधवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निर्वाचित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संबंधवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-49 के अधीन जो व्यक्ति (बाहरी) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रतियाँ देखना चाहते हैं अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हैं उन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। निर्वाचित फीस का भुगतान करने पर बाहरी और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेंगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दूँहे गये संबंधवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूँहे गये ऐसे संबंधवहारों और अवधारों की दृष्ट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, निबंधन

राम संख्या

आवेदक श्री

का अवधार प्रमाण-पत्र द्वारा

दिनांक

के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

कार्यालय, निबंधन

राम संख्या

आवेदक श्री

का अवधार प्रमाण-पत्र द्वारा

दिनांक

के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

कार्यालय, निबंधन

राम संख्या

आवेदक श्री

का अवधार प्रमाण-पत्र द्वारा

दिनांक

के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।